

आरोपी मनीष कुमार सह श्री एल.पी.मेश्राम अधिवक्ता ।

आरोपी मनीष एवं प्रार्थी अजाबसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री ए.पी. मेश्राम द्वारा एक राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा-320(2) दं.प्र.सं. का पेश किया गया कि उभयपक्ष के मध्य आपसी समझौता हो गया है तथा उभयपक्ष एक ही गांव के निवासी है। आरोपी के साथ बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना एवं उनके मध्य मधुर संबंध हो जाना व्यक्त किया है। उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत अजाबसिंह को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जावे।

फरियादी/आहत अजाबसिंह स्वतः उपस्थित। उसकी पहचान श्री एल.पी. मेश्राम द्वारा की गई। पहचान में संदेह नहीं है। प्रार्थी/फरियादी ने अपने पहचान के समर्थन में भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र पेश किया। प्रार्थी से एवं आरोपी से पूछे जाने पर उन्होंने स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा किया जाना व्यक्त किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपी के विरुद्ध धारा-294, 323, 506 भादंवि के दण्डनीय अपराध में आरक्षी केन्द्र बैहर द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया है। आरोपी द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भादंवि का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय व राजीनामा योग्य है। फलतः फरियादी/आहत अजाबसिंह को आरोपी धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसी स्तर पर फरियादी/आहत अजाबसिंह द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा-320 दंड प्रक्रिया संहिता का इस आशय से पेश किया गया कि उसके आरोपी से अब संबंध मधुर हो चुके हैं तथा आरोपी उसके गांव का ही उसने आरोपी से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है। उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत अजाबसिंह को आरोपी मनीष कुमार से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम हैं। राजीनामा करने में कोई विधिक रुकावट नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरुद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः आरोपी-मनीष कुमार को राजीनामा के परिपेक्ष्य में धारा- 294, 323, 506 भा.दं.वि. के आरोप से उन्मोचित किया जाता है।

प्रकरण मे जप्तशुदा पेश नहीं है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)